

(for projects other than linear projects)
Office of the District Collector, Kangra at Dharmshala.

No. 4353 /DRA

Dated: 16 Dec, 2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of Other than linear projects, it is certified that khasra No 208/1 area measuring 0-41-89. Hectares situated in Mohal Lanj Khas of forest land proposed to be diverted in favour of Himachal Pradesh Education Department for Construction of Degree College Lanj Kangra District falls jurisdiction of Dharmshala Forest Divisionl.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-41-89 hect. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Lanj Khas, Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure... 1... to.....
- (b) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- (c) The Gram Sabha Lanj Khas has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Lanj Khas is enclosed as annexure.....
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl. As above.

OP
**Distt. Revenue Officer
Kangra at Dharamshala**

[Signature]
District Collector
Kangra at Dharamshala.

सर्वांगतंत्र सभायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
 दिनांक 07.12.2016 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत विभागी एक्ट 2000 के अन्तर्गत प्राप्त कार्यों के शक्ति विभागी स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही

विभागी स्तरीय समिति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत विभागी एक्ट 2000 की बैठक दिनांक 07.12.2016 को श्री सी.पी.डी. वर्मा, भागलपुरसेठ सभायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें सरकार द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के शक्ति समिति के कारवाही व गैर सरकारी निम्नलिखित सदस्यों के नाम लिखा-

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1 सहायक अध्यापक वन नूरपुर व देहरा | सदस्य |
| 2 वन सफाई अधिकारी धर्मशाला। | सदस्य |
| 3 वन सफाई अधिकारी फालगपुर। | सदस्य |
| 4 श्री रामन सिंह | सदस्य |

सर्वप्रथम सभायुक्त शहीद ने बैठक में उपस्थित सम्स्त सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की। बैठक में निम्नलिखित कार्य व लोक निर्माण विभाग से विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु उम्मा एक्ट के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किये जाने वाले आवेदन उपसफाई स्तरीय कमेटी धर्मशाला, कांगड़ा, नूरपुर, फालगपुर, बैजनाथ से आवेदन प्राप्त हुए।

उपसफाई अधिकारी (नाग) जगदी से निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए:-

- 1 सिक रोड मन्डौल कथिया राजा व लाला।
- 2 अगरी धार मन्डौल देही कथिया

उपसफाई अधिकारी (नाग) बैजनाथ से निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए:-

- 1 सिक रोड हरेड से फटाहर।
- 2 विनया खड्ड से पूत के निर्माण हेतु।
- 3 सिक रोड दरै से कण्ड कोसरी के निर्माण हेतु।

उपसफाई अधिकारी (नाग) कांगड़ा से निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए:-

- 1 डिग्री कलेज लॉज के विस्तार हेतु।
- 2 बहा अडवा बडोह के विस्तार हेतु।
- 3 आई.टी.डी. मार्क मण्डल के निर्माण हेतु।

उपसफाई अधिकारी (नाग) फालगपुर से निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं।

- 1 सिक रोड हटौली शौहली सड़क के निर्माण हेतु।
- 2 सिक रोड मटौली अगाहर के निर्माण हेतु।
- 3 सिक रोड बडूखर खडोम लरोह, मलहन्ता, सड़क के निर्माण हेतु।

(Signature)
 Dist. Revenue Officer
 Kangra at Dharamshala

- उपमण्डल अधिकारी(ना०) धर्मशाला से निम्नलिखित मामले प्राप्त हुए हैं:-।
1. रोपवे चागुण्डा से आदि हिमानी।
उपमण्डल अधिकारी (ना०) नूरपुर से स्वागरा कला खुशी नगर को विस्तार हेतु प्राप्त हुआ है।

बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त समस्त मामलों को ध्यानपूर्वक देखा गया। उपमण्डल स्तरीय समिति से प्राप्त बैठक की कार्यवाही से पाया गया कि उपरोक्त मामलों में किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया है तथा कमेटी के किसी भी सदस्यों द्वारा कोई एतराज नहीं जताया गया। अतः समस्त मामले जिला स्तर की बैठक में परित कर दिये गये हैं जिस बारे प्रमाण पत्र जारी की दिये जाएंगे।

इसके अतिरिक्त उपमण्डल अधिकारी (ना०) वैजनाथ से वन अधिकार के दावों के 28 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें निम्न ऋटियाँ पाई गई:-

1. अधिकारों की सीमा चिह्नित करने हेतु खशरा न० की रिपोर्ट मिसालों में शामिल नहीं है।
2. उपमण्डल अधिकारी ना० द्वारा प्रस्तुत किये दावों के साथ संलग्न दस्तावेजों का सही हवाला दर्ज नहीं किया गया है।

अतः इस बारे सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (ना०) से चर्चा के उपरान्त पुनः जिला स्तरीय बैठक में रखा जाएगा।

तत्पश्चात उपायुक्त महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करके बैठक को समाप्त कर दिया।


स्थान—धर्मशाला
दिनांक दिसम्बर, 2016

(सी०पी०वर्मा, गा०प्र०से०)
उपायुक्त कांगड़ा एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

पृष्ठांकन संख्या /डी०आर०ए० दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
2. सहायक अरण्यपाल वन नूरपुर, देहरा।
3. वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला, पालगपुर।
4. श्री गगन सिंह गौरा गांव वंगार डा० वाह तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा।


Distt. Revenue Officer
Kangra at Dharamshala


अति० जिलादण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


कार्यवाई बैठक दिनांक 21/11/2016 को जिनके प्रमुख के अतिरिक्त उपस्थित करने वाले अन्यकी प्रमाण पत्र की शर्त की है। उपरोक्तकी स्तर पर जिला Revenue Commissioner कागड़ा की बैठक आज दिनांक 21/11/2016 को बुलाई गई थी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हुए।

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | श्री देवप्रकाश बनिक (सावधानी) | अध्यक्ष |
| | उप महासह अधिकारी (नग) | |
| | कागड़ा। | |
| 2. | श्री राम चन्द पुत्र पाचो राम | सदस्य |
| | शिवली लकीपुर लक्ष्मीत व जिला कागड़ा। | |
| 3. | श्री मोहन लाल | सदस्य |
| | आर्य श्री कागड़ा जिला | |
| | एम्पीएफओ कागड़ा। | |
| 4. | श्री प्रकाश सिंह (सावधानी) पुत्रकी। | सदस्य |
| 5. | श्रीमती नीमा सिंह जन्मी श्री सुन्दर सुन्दर | सदस्य |
| | पांच व सा। सुन्दर लक्ष्मीत बरौं। | |
| 6. | श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र अमर सिंह | सदस्य |
| | पांच हटवास सा। नगरीत बरौं। | |
| 7. | श्री देव लाल वर्मा, लक्ष्मीचन्द कागड़ा। | सदस्य सदस्य |

- विषय- 1. आईटीडी चार्ज बपल खास के सिधे सरकार विभाग की भूमि वास्त्वा महास नगल खास खाता नं. 398 भिन खतौनी 683 भिन नं. खतौनी 239, 1314/238 फिला 2 रकमा तादादी 8-15-18 है।
2. बस स्टैंड बासा बडोह के निर्माण के सिधे भूमि वास्त्वा महास कमलोटो सरकार विभाग के खाता नं. 129 भिन खतौनी नं. 194 भिन खसरा नं. 602/1 रकमा 0-40-08।
3. डा। सजोन्द्र नगर डिग्री कालेज लज हेतु भूमि सरकार विभाग की खाता नं. 213 भिन खतौनी नं. 268 भिन नं. खसरा 209/1 रकमा 0-41-09 है।

बैठक में अनुपस्थित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से तथा अन्य विधियों 2006 के अन्तर्गत महास नगर खास महास कमलोटो व महास लज खास में निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई भी दावा या आपत्ति पैदा नहीं हुई इस बारे में अधिकार क्षीयिती प्राप्त तथा (महास सभा) महास खास के प्रस्ताव संख्या शून्य, दिनांक 02/11/2016 व महास सभा लज खास के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 02/10/2016 व महास कमलोटो की प्राप्ति तथा के प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 04/10/2016 से उपरोक्त प्रयोजन 50% कोरस के साथ सहमति प्रदान की गई है। उपरोक्तकी वन अधिकार सचिपि कागड़ा में उपस्थित सभी सदस्यों ने भी उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि हस्तान्तरित करने वाले उद्देश्य से सभी सदस्यों ने सह भोजित करने का अनुमोदन किया कि इन तीनों बाबतों में वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 2008 तथा 2012 के विधियों के हिसाब से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। अतः कार्यवाई रिपोर्ट District level Committee Kangra at Dharamshala को आगामी स्तर की कार्यवाई के लिए प्रेषित है।


 Dist. Revenue Officer
 Kangra at Dharamshala


 उप महासह अधिकारी (नग)
 कागड़ा।

कार्यालय ग्राम पंचायत लंज खास

विकास खण्ड कांगड़ा

तहसील हारचक्रिया जिला कांगड़ा

दिनांक 11/9/2018

प्रधान श्री रमेश चंड


दिनांक 11/9/2018

पंचायत / ग्राम सभा

प्रस्ताव नि० विन्दिग डा० रजिन्द्र प्रशाद डिग्री कालेज लंज हेतू चयनित भूमि खसरा न० 208 में अनाआपति प्रमाण पत्र देने बारे ।

पंचायत ग्राम सभा बैठक में यह प्रस्ताव सर्व सहमति से पास किया गया कि जन अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कमेटी द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि मौजा लंज मुहल लंज खास खसरा न० . 208 भूमि में कोई भी किमती वृक्ष नहीं है केवल भूमि में झाड़िया ही है अतः इस भूमि में डा० रजिन्द्र प्रशाद डिग्री कालेज लंज की विन्दिग बनाई जाती है तो ग्राम सभा व ए० ए० सी० कमेटी को कोई आपत्ति नहीं है या बनाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है पारित प्रस्ताव की प्रतिनिधि माननीय महोदय उप मण्डल अधिकारी एवं नगरिक एवं दण्ड अधिकारी की सेवा में अगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है

मकल असात मुताबिक सही है ।


Panchayat Secretary
Gram Panchayat Lanj Khos
Dist. Block Kangra (H.P.)

वन अधिकार कमेटी

लंज खास

तहसील व जिला कांगड़ा हि० प्र०

प्रस्ताव संख्या....2.....

दिनांक...2/10/2016

प्रधान:- श्री रमेश चंद

पारितकर्ता :- वन अधिकार कमेटी

मुहाल गांग सभा लंज खास

कोरम हाजरी.....


प्रस्ताव डा० रजिन्द्र प्रशाद डिग्री कालेज का भवन निर्माण हेतू अनाआपति प्रमाण पत्र देने वारे ।


वन अधिकार कमेटी की ग्राम सभा बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया कि एफ० आर० सी रूल्स 2008 और 2012 के अनुसार 90 दिन का समय दावे व अपतियां प्रस्तुत करने का रखा गया यह सुचना पंचायत घर के कार्यलय बोर्ड पर चस्पान की गई अतः 90 दिन के भीतर कोई भी दावा, आपति वन अधिकार कमेटी मुहाल लंज खास में प्रस्तुत नहीं की गई अतः इस स्थान में कोई अनूसुचित जनजाती तथा पारम्परिक ढ़ेश नहीं है खसरा न० ,208 जो भूमि हि० प्र० सरकार के नाम है में कोई भी किमती वृक्ष नहीं हैं केवल झाड़ियां है इस अतः इस भूमि पर डा० रजिन्द्र प्रशाद डिग्री कालेज का भवन बनाया जाता है तो एफ० आर० सी० कमेटी रेवन्यू गांव-लंज खास को कोई आपति नहीं है पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि आगामी कार्यवाही हेतू सब डिविजनल कमेटी की सेवा में प्रेषित है ।

नकल असल मुताविक सही है ।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला की सेवा में प्रेषित है

नकल असल मुताविक सही है


प्रधान


सचिव

वन अधिकार कमेटी

विकास आण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

महाल समा लंज खास

विकास खण्ड कांगड़ा जिला कांगड़ा हि0 प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 2/10/2016

गण पूर्ति 102/192

प्रस्ताव संख्या 2

विषय वन विभाग/संस्था को वि.पि.सी.ओ.लंज के निर्माण हेतु लंज खास जंगल /वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.58-74 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु


ग्राम लंज खास की बैठक आज दिनांक 2/10/2016 की गई जिसमें 11-00 बजे स्थान कार्यालय विभाग/संस्था को लंज खास के निर्माण हेतु वि.पि.सी.ओ.लंज जंगल /वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.58-74 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई

सभी ग्रामवासियों ने सम्वन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम समा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सहमति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्वन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.58-74 हेक्टेयर वन भूमि को वि.पि.सी.ओ.लंज हेतु उपयोग के लिए ग्राम समा लंज खास की सहमति दी जाती है श्री 20 सुभाद

स्थान लंज खास

दिनांक 2/10/2016


2/10/16
प्रधान अधिकृत हस्ताक्षर विव
वन अधिकार कमेटी
~~सर्व निवासी लंज खास~~
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

5048

42

14/11/16
BDO (G)

DDK
11/11

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

ग्राम सभा मुहाल जंगल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 2/10/2016

ग्राम सभा मुहाल जंगल की बैठक आज दिनांक 2/10/16 को 11-00

वजे स्थान मुहाल जंगल की अध्यक्षता की गई जिसमें मुहाल जंगल के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मुहाल जंगल क्षेत्र में जिसमें वन विभाग द्वारा निर्माण के लिए 0.58.74 हेक्टेयर भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है वन अधिकारों के लिए दावे हेतु द्वारा ग्राम सभा की वन अधिकार समिति शिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई वन अधिकारों के प्रस्तावों के प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पत्रों पर दावा नियमानुसार राह्री पाया गया :-

क्रम सं०	पत्र ग्राम वारी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का धोरा
1.	NIL		
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे /इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड त्तर की समिति को प्रेषित करती है

उपरोक्त में से निम्नलिखित पत्रों का दावा नियमानुसार राह्री नहीं पाया गया :-

क्रम सं०	पत्र ग्राम वारी का नाम
1.	
2.	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे /इन दावों को निरस्त करती है ।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल जंगल /वन क्षेत्र में कोई भी अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान मुहाल जंगल

दिनांक 2/10/2016

ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल जंगल /वन क्षेत्र में कोई भी अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ
वन अधिकार कमेटी
अधीनस्थ प्रशासक/रा. खास
वि. त. ज. क. म. ड. (दि. प्र.)

ग्रामवासी/ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के आवेदन किया है
प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि उपयोग की अनुमति दी जानी है ।